



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 30 राँची, बुधवार

30 भाद्र, 1944 (श०)

21 सितम्बर, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 254- 268 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2022

संख्या-1/विविध-803/2018 का०-5328--श्री विप्रा भाल, भा.प्र.से. (झा:2006), निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 16.08.2022 से 02.09.2022 तक कुल 18 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 03.09.2022 एवं 04.09.2022 के शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश के उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

25 अगस्त, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-37/2017-8683 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का (पंचम बैच, गृह जिला-राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	AMRITA PRIYANKA EKKA- (110007710610)	DC OFFICE GUMLA	<u>KAMDARA</u> <u>BLOCK ,GUMLA</u> Block Development Officer	15/06/2016	26/10/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2022

संख्या-4/नि०स०-12-46/2014-8513 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार लायक (द्वितीय बैच, गृह जिला-दुमका) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद (WP(PIL)No.-3594/2011, बुद्धदेव उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	PRASHANT KUMAR LAYAK- (20080400080)	DC OFFICE DHANBAD	<u>DHANBAD</u> <u>SADAR CIRCLE.</u> <u>DHANBAD</u> CIRCLE OFFICER	01/09/2008	23/12/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-12/2016 का०-5367--श्रीमती बन्दना भारती, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची का दिनांक 17.02.2016 से 16.05.2016 तक उपभोग की गई अवकाश की अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:

- (क) दिनांक 17.02.2016 से 10.04.2016 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा (कुल 54 दिन) संहिता के नियम 227, 230, 248 के तहत,
- (ख) दिनांक 11.04.2016 से 16.05.2016 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा (कुल 36 दिन) संहिता के नियम 232 के तहत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के अवर सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

14 सितम्बर, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० धनबाद (NKTL)-81/2021-3141(5)/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-24.08.2022 में मद संख्या-10 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिलान्तर्गत अंचल-निरसा के मौजा-पिण्ड्राहाट, मौजा सं०-166, हाल खाता सं०-428, हाल प्लॉट सं०-489 (किस्म-दोन एक), 572 (किस्म-पुरातन पतित), 491 (किस्म-बाईद), 718 (किस्म-बाईद), 719 (किस्म-पुरातन पतित), कुल रकबा-1.49 एकड़ अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार (गैर आबाद खास) खाते की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I), राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.2017 के आलोक में पंजीकृत बाजार दर से गणना की गयी प्रस्तावित भूमि का संगणित सलामी की राशि 59,17,535/- (उनसठ लाख सत्रह हजार पाँच सौ पैंतीस) रुपये, सलामी का एक (01) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि 59,175/- (उनसठ हजार एक सौ पचहत्तर) रुपये, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 44,382/- (चौवालीस हजार तीन सौ बेरासी) रुपये एवं 29 वर्षों के लिए रेन्ट+सेस की राशि 30,03,153/- (तीस लाख तीन हजार एक सौ तिरेपन) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 90,24,245/- (नब्बे लाख चौबीस हजार दो सौ पैंतालीस) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) की अदायगी पर नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड (NKTL) को 400/220 के 0वी0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

- i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, धनबाद प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्यवाई करेंगे।
- iii. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि हैं तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- iv. प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त धनबाद यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- v. उपायुक्त संतुष्ट हो लेंगे कि प्रस्तावित भूमि विवादरहित तथा वनसीमा/भू-हदबंदी/भूदान/कब्रिस्तान/श्मशान/धार्मिक स्थल से मुक्त है।
- vi. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.2017, विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक-24.10.14 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	मौजा सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	प्रस्तावित रकबा(ए० में)	भूमि का किस्म
1	02/2020-21	निरसा	पिण्ड्राहाट	166	428	489	0.14	दोन एक
						572	0.24	पुरातन पतित
						491	0.48	बाईद
						718	0.15	बाईद
						719	0.48	पुरातन पतित
कुल-							1.49	

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में)	लगान (सलामी का 1%)	सेस (रूपये में)	अन्य (29 वर्षों के लिए रेन्ट+सेस) (Rent+CESS)X29 (रूपये में)	कुल देय राशि(रूपये में)(6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/2020-21	पिण्डाहाट	1.49	3971500	5917535	59175.35 या 59175	44381.51 या 44382	3003153	9024245

अर्थात् 90,4,245/- (नब्बे लाख चौबीस हजार दो सौ पैंतालीस) रूपये मात्र ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

23 अगस्त, 2022

सं०-09/आरोप-दुमका-115/2018-2806-(09)--

श्री शम्भु शरण, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका सेवानिवृत्त के विरुद्ध कतिपय आरोपों के संदर्भ में कार्यालय, बंदोबस्त पदाधिकारी, संथाल परगना, दुमका का पत्रांक-10 गो०/बंदो०, दिनांक-04.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु प्रपत्र-क विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-109, दिनांक-08.01.2019 द्वारा श्री शम्भु शरण, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका सेवानिवृत्त को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

श्री शम्भु शरण समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न कर विभागीय पत्रांक-1810, दिनांक-20.05.2019 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका से बिन्दुवार सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गई।

कार्यालय, बंदोबस्त पदाधिकारी, संथाल परगना, दुमका का पत्रांक-104, दिनांक-31.07.2021 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत विभाग के निर्णयानुसार श्री शम्भु शरण, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं JASHO BARAIK अन्य नाम YASHODA DEVI पति CHOUDHARI BARAIK, शपथ पत्र सं० 51, दिनांक 3 मार्च, 2022 के अनुसार JASHO BARAIK के नाम से जानी जाऊँगी।
JASHO BARAIK एवं YASHODA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.& P.O.- BANSIYA,
P.S. - SILLI,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835102
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANJUSHA KUJUR अन्य नाम CHANKI KUMARI पिता HESNE ORAON, शपथ पत्र सं० 854, दिनांक 25 अगस्त, 2022 के अनुसार MANJUSHA KUJUR के नाम से जानी जाऊँगी।

MANJUSHA KUJUR एवं CHANKI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL- TALA BARWATOLI,
P.O.- TALA,
P.S. - CHANHO,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835214
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PREM KUMAR RANA, PRATIMA KUMARI (अन्य नाम PRERNA RANI) का पिता शपथ पत्र सं० 506, दिनांक 8 सितम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी PRATIMA KUMARI (जन्म तिथि 25 अक्टूबर, 2007) के नाम से जानी जायेगी।

PRATIMA KUMARI एवं PRERNA RANI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 3A, TRIPATHI, ENCLAVE,
JATIN CHANDRA ROAD, LALPUR,
P.O. & P.S. - LALPUR,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं AJAY KUMAR, AADHYA SHANKAR (अन्य नाम ADITYA SHANKAR RAI) का पिता शपथ पत्र सं० 399, दिनांक 27 जून, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी AADHYA SHANKAR (जन्म तिथि 1 मार्च, 2009) के नाम से जानी जायेगी।

AADHYA SHANKAR एवं ADITYA SHANKAR RAI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HARINAGAR TATISILWAI,
RANCHI,
PIN - 835103
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJU SOHAN PASWAN अन्य नाम ASHOK PASWAN पिता SOHAN PASWAN, शपथ पत्र सं० 808, दिनांक 9 अगस्त, 2022 के अनुसार RAJU SOHAN PASWAN के नाम से जाना जाऊँगा ।

RAJU SOHAN PASWAN एवं ASHOK PASWAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - 81 ALI NAGAR,
P.O.- ALI NAGAR,
P.S. - HUSAINABAD,
DIST.- PALAMU,
PIN - 822116
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं JITENDRA KUMAR अन्य नाम JITENDRA KUMAR SINGH पिता GOPAL SINGH, शपथ पत्र सं० 6, दिनांक 27 अगस्त, 2022 के अनुसार JITENDRA KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

JITENDRA KUMAR एवं JITENDRA KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - BLOCK NO.- UI/QT/1,
TATA DIGWADIH NEW COLONY,
NEAR DURGA MANDIR, DIGWADIH,
P.O.- JEALGORA,
DIST.- DHANBAD,
PIN - 828110
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BASANTI DEVI, पति Late TEKLAL MANDAL, ANUP KUMAR MANDAL (अन्य नाम KHIRO MANDAL) कि माता शपथ पत्र सं० 490, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र ANUP KUMAR MANDAL (जन्म तिथि -10 अक्टूबर, 2006) के नाम से जाना जायेगा।

ANUP KUMAR MANDAL एवं KHIRO MANDAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- TILAKDIH,
P.O.- GHORANGI,
P.S. - BHELWAGHATI,
DIST.- GIRIDIH,
PIN- 815314
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RIJOICE ARIC अन्य नाम RIJWAN AHMAD पिता MD. ASHIK ANSARI, शपथ पत्र सं० 35, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 के अनुसार RIJOICE ARIC के नाम से जाना जाऊँगा।

RIJOICE ARIC एवं RIJWAN AHMAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- CHIPPADOHAR,
P.O.& P.S.- CHIPPADOHAR,
DIST.- LATEHAR,
PIN- 829204
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं JITENDRA KUMAR UPADHYAY अन्य नाम JITENDRA KUMAR पिता NAG NARAYAN UPADHYAY, शपथ पत्र सं० 5182, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के अनुसार JITENDRA KUMAR UPADHYAY के नाम से जाना जाऊँगा।

JITENDRA KUMAR UPADHYAY एवं JITENDRA KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- KEDLA,
PROJECT 01 NO., ICHAKDIH,
P.O.- KEDLA,
P.S.- MANDU,
DIST.- RAMGARH,
PIN- 825325
JHARKHAND.
